भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 594
जिसका उत्तर गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

**देश में मध्यस्थता कार्यवाही की लागत और सुलभता**

**594 श्री साना सतीश बाबू :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, कुल कितनी मध्यस्थता कार्यवाहियां की गई ;

(ख) क्या सरकार ने देश में मध्यस्थता की उच्च लागत का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो इसे विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में मध्यस्थता कार्यवाही के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों पर सीमा लगाने पर विचार किया है ताकि आम आदमी मध्यस्थता कार्यवाही का लाभ उठा सके, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या पहुँच में सुधार और मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए जिला-स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** सरकार द्वारा ऐसा कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है ।

**(ग) और (घ) :** सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पक्षकार की स्वायत्तता माध्यस्थम् के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए केंद्रीय है। माध्यस्थम् अधिकरण से पक्षकारों द्वारा करार पाई गई प्रक्रिया के अनुसार माध्यस्थम् का संचालन करने की अपेक्षा की जाती है, जो एक माध्यस्थम् संस्था के *तत्वावधान* में या तदर्थ रीति से संचालित किया जाए । यदि माध्यस्थम् एक माध्यस्थम् संस्था के तत्वावधान में संचालित और प्रशासित

की जाती है, तो मध्यस्थों को सामान्यत: संदेय फीस उक्त संस्था के नियमों के अनुसार होती है । तदर्थ माध्यस्थम् के मामले में, जहां प्रक्रिया माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा मामला दर मामला आधार पर विनिश्चित की जाती है, वहां भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने *ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एफकॉन गुनानुसा जेवी (एआईआर 2022 एससी 4413) में* मध्यस्थों की फीस विनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन सिधांन्त अधिकथित किए हैं। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996, चौथी अनुसूची के अधीन मध्यस्थों को संदेय आदर्श फीस को भी नियत करता है ।

**(घ) :** वर्तमान में, जिला स्तरीय माध्यस्थम् केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**********